अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0 138/2018-19

बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कारवाई से

संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
15/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है–	

मौजा– कोलाकुसमा मौजा न0– 12 खाता न0 142

प्लॉट न0 1510 रकबा 3.30 डि0 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी–।। के जिल्द संख्या 21 के पृष्ठ सख्या 62-6 पर जमाबंदी रैयत [illegible]

राम निवास सिंह के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।

अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।

अभिलेख दिनाक 29/3/19 को रखे।

15-3-19

अंचल अधिकारी,

धनबाद।

Scanned by CamScanner

29/3/19 अभिलेख उपस्थापित।अंचल निरिक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 12/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

12/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनांक 26/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

13/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 27/6/20 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

27/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा बोकारो [illegible] मौजा न0 12 खाता 142 , प्लाट न0 1310 , रकवा 3.30 डी0 भूमि से संवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस न0 166 (II) 16-17 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी , धनवाद द्वारा उक्त पजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एंव संशोधत।

Scanned by CamScanner